

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.4-1/2016-हिं.अ.

दिनांक: 20.06.2016

दिनांक: 20.06.2016

परिपत्र

**विषय:** संस्थान में कार्यरत नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित करने संबंधी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रतिवर्ष अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। संस्थान द्वारा अगस्त, 2016 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र हेतु अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में नामित किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षण, अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण स्वैच्छिक रूप से अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी टंकण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामांकित करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

1. हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2016 से प्रारंभ होगा और इस प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी तथा केवल डाटा एंट्री ऑपरेटरों, लिपिकों आदि को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।
  2. हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाएं कार्यालय समय में (शनिवार को छोड़कर) प्रतिदिन एक घंटे की होती हैं।
  3. प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए कर्मचारियों को संस्थान द्वारा संस्थान से आर.के.पुरम स्थित प्रशिक्षण केन्द्र तक सार्वजनिक वाहन द्वारा आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय दिया जाता है।
  4. नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि में कक्षा में उपस्थित होना व उसकी समाप्ति पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता है और कक्षा में गैर-हाजिरी को कर्तव्य की अवहेलना माना जाता है।
  5. नामित कर्मचारी को हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए एक अधिक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

जारी-2/-

१०४

प्राची वंश	हिन्दी भाषा	हिन्दी लेखन	हिन्दी संस्कृत	हिन्दी विज्ञान	हिन्दी विद्या	हिन्दी विद्युत
प्राची वंश	हिन्दी भाषा	हिन्दी लेखन	हिन्दी संस्कृत	हिन्दी विज्ञान	हिन्दी विद्या	हिन्दी विद्युत
प्राची वंश	हिन्दी भाषा	हिन्दी लेखन	हिन्दी संस्कृत	हिन्दी विज्ञान	हिन्दी विद्या	हिन्दी विद्युत

6. हिंदी टंकण की परीक्षा में 97%, 95% एवं 90% अंक प्राप्त करने पर संबंधित कर्मचारी को संस्थान की ओर से क्रमशः ₹ 5,000/-, ₹ 3,000/- एवं ₹ 2,000/- के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
7. अंग्रेजी टंकण जानने वाले कर्मचारी यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना सरकारी कार्य अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी करते हैं तो उन्हें संस्थान की ओर से नियमानुसार क्रमशः ₹1,500/- और ₹1000/- प्रतिमास विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है।

संस्थान के विभिन्न केन्द्रों के प्रमुखगण तथा विभागों/अनुभागों के अध्यक्षगण, अधिकारीगण एवं संकाय-सदस्यगण अपने अधीन कार्यरत जिन नियमित अवर क्षेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को स्वेच्छा से उपर्युक्तानुसार अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्राथमिकता के आधार पर नामित करवाना चाहते हैं, वे कृपया संलग्न प्रपत्र में ऐसे कर्मचारीगण के नाम इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर हिंदी अनुभाग को उपलब्ध करा दें। उक्त आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु जारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुस्तिं

(प्रेम सिंह तोमर)  
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

वितरण: - सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
2. उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
3. उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
5. सभी नोडल राजभाषा अधिकारी।
6. उन्नाटी संकाप- (कंप्यूटर सुविधा) से मात्रात्मक रूप से इसकी वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रेम सिंह तोमर  
21.६.१४

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

संस्थान में कार्यरत नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी  
शिक्षण योजना के तहत हिंदी टंकण प्रशिक्षण में नामित करने हेतु नामांकन प्रपत्र।

हिंदी अनुभाग के दिनांक 20.06.2016 के परिपत्र सं. 4-1/2016-हि.अ.  
के संदर्भ में----- विभाग/अनुभाग/केन्द्र में  
कार्यरत श्री/सुश्री----- पदनाम-----,  
को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत  
अगस्त, 2016 से आरंभ होने वाले सत्र में अनिवार्य हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु  
प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

सिफारिश करने वाले अधिकारी/संकाय: -----  
के मोहर सहित हस्ताक्षर

हिंदी अनुभाग  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान